

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2023/15

दिनांक- 08.05.2023

कार्यालय आदेश

मैं, श्रीमती परवीन बानू, आरजेएस, लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के आदेश क्रमांक स्टेनो/2023/13 दिनांक 25 अप्रैल 2023 में (आपसी सहमति से) दिनांक 13-14 मई 2023 के राजकीय अवकाशों की श्री सिद्धार्थ गोदारा, आरजेएस, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर एवं दिनांक 21-22 मई 2023 के राजकीय अवकाशों की सुश्री ज्योति रखावत, आरजेएस, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है एवं निम्नांकित शासकीय अवकाश में बीकानेर जिले के मुख्यालय पर स्थित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं मुख्यालय के बाहर स्थित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर रहने की स्थिति में आवश्यक आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करता हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्वेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

| अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे | पीठासीन अधिकारी का नाम | पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर | न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे। |
|--|------------------------|---------------------------------|--|
| 13-14 मई 2023 | सुश्री ज्योति रखावत | 8800374684 | न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर |
| 21-22 मई 2023 | श्री सिद्धार्थ गोदारा | 8872264849 | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर |

- नोट:- (1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

**लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।**

दिनांक:-08.05.2023

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2023/ 69)
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ
- 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
- 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर
- 4 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर
- 5 कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर
- 6 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर

सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

**लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।**